दिनांक 07.07.12 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया के कार्यकलापों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।

प्रधान सचिव द्वारा अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की समीक्षा की गयी । प्रधान सचिव द्वारा अश्वस्त किया गया कि अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यलाय अस्पताल को Centre of Excellence बनाने के लिए सरकार से जो भी सहायता चाहिए उसे पूरा करने के लिए विभाग तत्पर है। कार्य योजना को तीन हिस्सों में बाटा जाय, लघु कालीन (Short Term), मध्यावधि (Medium Term) एवं दीर्घकालीन (Long Term) ।

I.T. Manager
कृपया
विजेन्द्र यादव
27.7.12

2. प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अस्पताल/महाविद्यालय की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अधीक्षक की अध्यक्षता में एक Apex Body का गठन किया जाए -

(क) प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज - विशेष आमंत्रित
(ख) अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गया । - संयोजक
(ग) सभी विभागाध्यक्ष
(घ) डा0 डी0 के0 रमन, राज्य स्वा0 समिति।
(ड.) मेट्रोन
(च) अस्पताल प्रबंधक

यह एपेक्स बॉडी अस्पताल के प्रबंधन में सुधार लाने के उपाय करेगी ताकि अस्पताल द्वारा मरीजों की बेहतर चिकित्सा सुविधा हो सके एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके । एपेक्स बॉडी माह में कम से कंम एक बार बैठक करेगी एवं अन्य बिन्दुओं के अलावा निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करेगी:-

(i) अस्पताल में उपलब्ध वर्त्तमान सुविधा का किस प्रकार बेहतर उपयोग किया जा सकता है ।
(ii) अस्पताल को और उत्कृष्ट बनाने के लिये क्या-क्या उपाय किया जा सकता है ।
(iii) एम्स, नई दिल्ली में लागू प्रोटोकोल को यहॉ भी लागू करना ।
(iv) चिकित्सकों द्वारा लिखित चिकित्सीय पूर्जा के ऑडिट (Prescription Audit) की समीक्षा ।
(v) अस्पताल में मुफ्त दवा/ जीवन रक्षक दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
(vi) अस्पताल में हुई मृत्यु की समीक्षा (Mortality Review). करना ।
(vii) विभाग से क्या संसाधन की आवश्यकता है के बारे में आकलन करना ।
(viii) अस्पताल आकस्मिकी में सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के संबंध में समीक्षा करना ।
(ix) आकस्मिकी में मरीज के साथ दो परिजनों को अंदर जाने के संबंध में व्यवस्था को सुनिश्चित करना ।
(x) अस्पतालों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाना, ताकि अस्पताल प्रबंधन में उसकी मद्द ली जा सके ।
(xi) गैस पाईपलाईन ऑपरेशन थियेटर एवं वार्डो में कार्यरत करवाना । एपेक्स बॉडी की बैठक की कार्यवाही विभाग को भेजी जाय।

(अनुपलान-प्राचार्य/अधीक्षक ए0एन0एम0सी0एच0, गया)

3. कॉलेज/ अस्पताल 55 एकड़ में है । भवन के संबंध में बताया गया कि अस्पताल का भवन तीन फ्लोर में बनाया जाना है परन्तु एक ही फ्लोर बना है । 35 वर्षो से कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है । भवन निर्माण हेतु वास्तुविद से सम्पर्क किया गया है । इसी सप्ताह में नक्शा प्राप्त हो जायेगा ।

4. प्रधान सचिव द्वारा अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया में दवा आपूर्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी । अधीक्षक द्वारा बताया गया कि आवश्यक दवाओं का दर निर्धारण एवं एजेन्सी का निर्धारण राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा तय किया जाता है और उसी दर पर एजेन्सी से दवा का क्रय अस्पताल द्वारा किया जाता है । राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लगभग 300 जेनरिक दवाओं की सूची राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी द्वारा बनायी गयी है । यह कार्य एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल, गया भी रहते है । अधीक्षक द्वारा बताया गया कि आवश्यक दवाओं के संबंध में विभागाध्यक्षों से भी दवाओं की सूची प्राप्त की जाती है । दवाओं के क्रय हेतु गठित समिति में प्राचार्य को भी रखने का निदेश दिया गया । दवाओं के प्रोक्यूरमेंट के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रधान सचिव को उपलब्ध कराने का निदेश अधीक्षक को दिया गया ।

प्रधान सचिव द्वारा अधीक्षक को यह भी निदेश दिया गया कि रोगियो को सरकार की नीति के अनुसार दवाओं की मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित हो । इसके लिए इंभेंटरी मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाना आवश्यक है । अतएव दवाओं का औसत मासिक खपत का आकलन पूर्व में ही कर लिया जाय और भंडार में दवा की उपलब्धता तथा इसके क्रय एवं आपूर्ति में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए समय से कायदिश निर्गत किया जाय ताकि रोगियों को दवाओं की आपूर्ति में किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो ।

प्रधान सचिव द्वारा दवा के प्रोक्यूरमेंट हेतु एक नोडल पदाधिकारी नामित करने हेतु निदेश दिया गया, जो सभी विभागाध्यक्ष के साथ बैठक कर पूरे वर्ष की दवाओं के खपत की सूची नाम एवं मात्रा के साथ एक विशेष समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध करा दें ।

प्रधान सचिव द्वारा दवा क्रय में न्यूनतम निविदादाता द्वारा ससमय दवा आपूर्ति नहीं करने में सक्षम नहीं होने के कारण ऐसी व्यवस्था अपनाने का निदेश दिया गया कि एल-1 की दर पर ही कार्यहित में एल-2 एवं एल-3 को भी दवा आपूर्ति हेतु आदेश दिया जा सके ताकि किसी एक कम्पनी का दवा आपूर्ति में एकाधिकार नहीं रहे ।

(अनुपलान-राज्य स्वास्थ्य समिति/अधीक्षक ए0एन0एम0सी0एच0, गया)

4. AES , JE को देखते हुए अत्याधुनिक माइक्रोबाइलॉजिकल लैब तैयार किया जाय। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि Microbiology विभाग के अन्तर्गत Virology lab बनाने हेतु AIIMS एवं दूसरे राज्य के Virology lab का निरीक्षण विभागाध्यक्ष/अन्य चिकित्सक से कराये । ताकि दूसरे राज्यों या एम्स की तर्ज पर बिहार में Virology lab बनाया जा सके । इससे AES, JE की जॉच कराना भी संभव हो सके । सरकार से जो भी मदद चाहिए, प्रस्ताव बनाकर प्रचार्य/अधीक्षक भेजे । चिकित्सको को अगर राज्य से बाहर की यात्रा हेतु प्राचार्य/अधीक्षक विभाग से अनुमति प्राप्त कर लेंगे । यदि भवन की आवश्यकता हो तो तत्संबंधी कार्रवाई की जाय ।

(अनुपलान-प्राचार्य/अधीक्षक, ए0एन0एम0सी0, गया)

5. अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया में नर्सो की व्यवस्था के संबंध में मेट्रोन द्वारा बताया गया कि कुछ नर्सो को काम नहीं आता है ।प्रधान सचिव द्वारा मेट्रोन को निदेश दिया गया कि इन्हे कार्य सिखाया जाय । काम नहीं करने वालो नर्सो पर कार्रवाई की जाय । कार्रवाई के बाद भी उनके कार्य में सुधार नहीं होता है तो उसे सेवा से हटाने की कार्रवाई की जाय। कोई भी नर्स तबतक अपनी डियूटी नहीं छोड़ेगी जबतक दूसरी पाली की नर्स कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेती है। डियूटी पर कार्यरत सभी नर्स ड्रेस पर अपना नेम प्लेट अवश्य लगायेंगी। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि मेट्रोन नर्सो के कार्यकलापों के प्रगति के बारे में महीना में एक बार बैठक अवश्य करें।

(अनुपलान-अधीक्षक/मेट्रोन, ए0एन0एम0सी0, गया)

6. संविदा पर कार्यरत नर्स को मातृत्व अवकाश एवं विशेष अवकाश की सुविधा प्राप्त नहीं है । इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया ताकि सरकार निर्णय लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति को सूचित कर सके । नर्सो के लिए changing room नहीं है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि पोटा केबिन (changing room) बनाई जाय। स्थायी निर्माण करने हेतु जगह का क्षेत्रफल एवं प्राक्कलन बना कर भेजी जाय।

(अनुपलान-अधीक्षक, ए0एन0एम0सी0, गया)

7. प्रधान सचिव दृवारा निदेश दिया गया कि वार्ड में सभी वरीय चिकित्सकों के राउन्ड का समय निर्धारित हो और उसे सभी सुगोचर स्थान पर दीवार लेखन अथवा बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए ताकि सभी को इसकी जानकारी रहे । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर की व्यवस्था दुरूस्त हो । यदि और ऑपरेशन थियेटर बनाने की आवश्यकता हो तो उसके लिए प्रस्ताव भेजा जाय ।

प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि यूनिट/वार्ड में कार्यरत चिकित्सक /नर्स द्वारा Senior डॉक्टर को जब कॉल पर बुलाया जाय तो संबंधित कॉल-बुक में यह प्रविष्टी की जाय कि कितने बजे कॉल किया गया एवं कितने बजे चिकित्सक उपस्थित हुए तथा मरीज को देखने के बाद कब यूनिट/वार्ड छोड़े, तत्संबंधी रिकॉर्ड मेन्टेन किया जाय। जरूरत पड़ने पर सह प्राध्यापक तथा प्राध्यापक को बुलाया जाय ।

(अनुपलान-अधीक्षक, ए0एन0एम0सी0, गया)

8. अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया में एक मोनिटरिंग समिति गठित करने का निदेश दिया गया जो अस्पताल की दैनन्दिनी व्यवस्था पर नजर रखेगी । जिसमें हेल्थ मैनेजर के साथ-साथ और कौन लोग रहेंगे यह अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल द्वारा तय किया जायेगा । इस समिति की बैठक प्रति माह की जायेगी और इसकी कार्यवाही प्रधान सचिव को भेजी जायेगी ।

(अनुपलान-अधीक्षक, ए0एन0एम0सी0, गया)

9. अनुग्रह नाराण मगध चिकित्सा महाविधालय अस्पताल, गया में मरीजों को पैथोलॉजिक एवं रेडियोलॉजिकल सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है केवल सी0टी0 स्कैन हेतु पैसा लगता है ।

अधीक्षक द्वारा बताया गया कि अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया में पारा मेडिकल कर्मियों की नितान्त कमी है । प्रधान सचिव द्वारा निदेशक प्रमुख को निदेश दिया गया कि पारा मेडिकल कर्मियों के रिक्त पदों का रोस्टर क्लीयरेंस कराकर कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजा जाए । जबतक कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती है तबतक एक समिति बनाकर पारा मेडिकल कर्मियों को संविदा पर रखने की कार्रवाई की

जाए । कर्मचारी चयन आयोग से शीध्र नियुक्ति की कार्रवाई पूरी करने हेतु अनुरोध किया जाए ।

निदेशक प्रमुख द्वारा बताया गया कि शल्य-कक्ष सहायक, प्रयोगशाला टेकनिशियन एवं एक्स-रे टेकनिशियन के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा कार्रवाई की जा रही है । प्रधान सचिव द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपलान- राज्य स्वास्थ्य समिति/निदेश प्रमुख)

10 प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि ट्रॉली मैन, सुरक्षागार्ड एवं साफ-सफाई आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाय । सुरक्षा गार्ड में भूतपूर्व सैनिक को रखा जाय । साफ-सफाई का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर कम्पनी के विरूद्ध दंड का भी प्रावधान होना चाहिए । साफ-सफाई के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/यूनिट प्रभारी से प्रतिवेदन मॉगा जाए और उनके प्रतिवेदन के आधार पर ही कम्पनी को भुगतान किया जाए । हेल्थ मैनेजर टीम बनाकर साफ-सफाई की स्थिति का आकलन करेंगे । ट्रॉलीमैन के दुर्व्यवहार, रोगियों से अवैध वसूली करने एवं दलाली की शिकायतें प्राप्त होते ही ऐसे दोषी ट्रॉलीमैनों को चिन्हित कर उन्हें कार्य से मुक्त करने की कार्यवाई की जाय ।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से हाउसकिपिंग के अन्तर्गत बिजली मिस्त्री, प्लम्बर एवं बढ़ई आदि की व्यवस्था की जा सकती है ताकि छोटे-मोटे कार्यो को अविलम्ब कराया जा सके ।

(अनुपलान-अधीक्षक, ए0एन0एम0सी0, गया)

11. रोगियों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवता के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि भोजन की गुणवता ठीक रहती है प्रधान सचिव द्वारा अधीक्षक को तैयार भोजन को समय-समय पर औचक रूप से जॉच करने का निदेश दिया गया । रोगियों को भोजन अनिवार्य रूप से थाली मे आपूर्ति करने का निदेश दिया गया । बर्तन (खण्ड वाली थाली) खरीदने हेतु अगर राशि की आवश्यकता हो तो आकलन कर मॉग करे । बर्तन की साफ-सफाई पर भी ध्यान दी जाय । बेसहारा मरीजों का भी अवश्य ध्यान रखा जाय । इन्हें भी थाली में भोजन उपलब्ध करायी जाय ।

(अनुपलान-अधीक्षक, ए0एन0एम0सी0, गया)

12. प्रधान सचिव द्वारा अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया में केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के संबंध में निदेश दिया गया कि इसे सक्षम एवं कारगर बनाया जाय । नियंत्रण कक्ष, शिकायत निवारण-सह-पूछ ताछ केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। रोगी जिस समय अस्पताल में पहुचे उसी समय से प्रोटोकॉल शुरू हो जानी चाहिए ।

(अनुपलान-अधीक्षक, ए0एन0एम0सी0, गया)

13. प्रधान सचिव द्वारा महाविद्यालय एवं अस्पतालो के मुख्य स्थानों पर CCTV कैमरा एवं जहाँ पर मरीज और उसके परिजन इन्तजार करते हो, वहाँ पर LCD TV केबल के साथ लगाने का निदेश दिया गया । इसके अलावा शुद्ध पेयजल के लिए Water cooler, Ro के साथ जगह-जगह पर अधिष्ठापित की जाय । CCTV कैमरा का Monitor प्राचार्य/अधीक्षक के कक्ष में लगा हो, ताकि अस्पताल/महाविद्यालय का Monitoring करना आसान हो सके । CCTV चालू रहे, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी प्राचार्य/अधीक्षक की होगी । इसका भुगतान नियमानुसार रोगी कल्याण समिति के मद/कार्यालय मद से करेंगे ।

(अनुपलान-प्राचार्य/अधीक्षक, ए0एन0एम0सी0, गया)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ।

ज्ञापांक-347(HS) पटना, दिनांक- 21/07/12

प्रतिलिपिः- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति/ प्राचार्य/अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया / मेट्रोन, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक-347(HS) पटना, दिनांक- 21/07/12

प्रतिलिपिः- सचिव, प0 क0/अपर सचिव/संयुक्त सचिव (श्री कुमार)/निदेशक प्रमुख/विशेष कार्य पदाधिकारी एवं प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक-347(HS) पटना, दिनांक- 21/07/12

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग को सूचनर्थ प्रेषित ।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग